E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/Sc. Exh/EO(KV)/2013/ **दिनांकः 13 मई, 2013**

अधिसूचना

विषयः CBSE विज्ञान–प्रदर्षनी– 2013 का आयोजन

प्रिय प्रधानाचार्य,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए संवादमूलक, सहभागी, व्यावहारिक, अभिनव एवं रचनात्मक अधिगम – अनुभवों को प्रदान करने की शुरूआत कर रहा है। ऐसी ही एक पहल हर साल क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विज्ञान–प्रदर्शनी के आयोजन के रूप में दिखती है। इस गतिविधि का लक्ष्य विद्यालयों, शिक्षकों एवं छात्रों को उनके नए विचारों को एक आकार देने तथा दूसरों के अनुभवों से कुछ सीखने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। ये प्रदर्शनियाँ विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं समाज के बीच की घनिष्ठता के प्रति हितधारकों की जागरूकता को बढ़ाने तथा साथ ही विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक माध्यम प्रदान करती हैं। इन विज्ञान प्रदर्शनियों के आयोजन के प्रमुख उद्देश्यों को इस तरह संक्षेपित किया जा सकता है :–

- युवा पीढ़ी में विज्ञान एवं तकनीक के प्रति रूचि में वृद्धि करना।
- छात्रों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना तथा उनमें अपनी प्रतिभा के प्रति गर्वबोध जगाना।
- स्वनिर्मित मॉडल्स या साधारण उपकरणों के निर्माण के माध्यम से विद्यालयी छात्रों को अन्वेषणात्मक अनुभव प्रदान करना, रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना तथा मनः प्रेरणा कौशल को बढ़ावा देना।
- समस्या सुलझाने वाले दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सर्वोपयुक्त तकनीकों को विकसित करना और दैनिक जीवन की परिस्थितियों के साथ वैज्ञानिक विचारों को एकीकृत करना।
- जनता के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और देश में सामाजिक–आर्थिक और सतत विकास पर इसके प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करना।

अतीत में विद्यालयों की भाग लेने की उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ही फिर से वर्ष 2013 में इस विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का निर्णय लिया गया है। इन प्रदर्शनियों के जुलाई/अगस्त के महीने में क्षेत्रीय स्तर पर और सितम्बर/अक्टूबर के महीने में राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न भागों में आयोजित होने की संभावना है।

इस वर्ष की प्रदर्शनी के प्रमुख विषय और उपविषय निम्नलिखित हैं :–

प्रमुख विषय : विज्ञान और समाज
उप–विषय : छः उपविषय है :–

- उद्योग
- प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण
- परिवहन एवं संचार
- सूचना एवं शिक्षा तकनीक
- सामूदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, तथा
- गणितीय मॉडलिंग

प्रदर्शनी के महत्वपूर्ण पहलू

पंजीकृत कैसे करे :–

1. हर प्रतिभागी विद्यालय अपने भागीदारी शुल्क के रूप में 500 रू॰ का भुगतान, अपने शहर के के॰मा॰शि॰बो॰ क्षेत्रीय अधिकारी के पक्ष में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के शहर को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में करेगा।
2. भाग लेने के लिए निवेदन के साथ संलग्न पंजीकरण फार्म और शुल्क, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को सीधे तौर पर भेजे जाएँ, दिल्ली मुख्यालय में नहीं।
3. दिल्ली क्षेत्र के विद्यालय इसे क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, PS-1-2, इंस्टिट्यूशनल एरिया, आई॰ पी॰ एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली–110092, के नाम पर भेज सकते हैं।
4. इस आयोजन में भाग लेने के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 15 जून, 2013 है।

भागीदारी के नियम

5. भाग लेने वाले विद्यालय अधिकतम दो प्रदर्शन/मॉडल/ परियोजना पेश कर सकते हैं।
6. प्रत्येक प्रदर्शन में अधिकतम दो छात्र तथा एक अनुरक्षण–विज्ञान–शिक्षक विद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
7. विद्यालय के टीम की भागीदारी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर समान ही होनी चाहिए।
8. क्षेत्रीय स्तर पर प्रदर्शित और चयनित प्रदर्शन/परियोजना को चयनित विषय और उपविषय पर आधारित होना चाहिए।
9. विद्यालय, क्षेत्रीय स्तर पर चयनित परियोजना/प्रदर्शन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए इसका पुनर्निमाण कर सकता है हालॉकि उन्हें चयनित प्रदर्शन के विषय या उपविषय में बदलाव करने की अनुमति नही है।
10. भाग लेने वाला विद्यालय/समूह इस आयोजन में अपनी भागीदारी से संबंधित सभी खर्चों का वहन स्वयं करेगा।
11. भाग लेने वाले समूह स्वयं के रहने एवं खाने की व्यवस्था प्रदर्शनी के आयोजन वाले शहर में करेंगे।

मॉडल/परियोजना कैसे तैयार करें

12. प्रदर्शन/मॉडल निम्न में से एक हो सकता है–
    a. एक क्रियाशील मॉडल
    b. एक अन्वेषण आधारित परियोजना
13. प्रदर्शन/परियोजना में शामिल हो सकते हैं
    - अवधारणा, सिद्धांत या प्रक्रिया समझाने के लिए क्रियाशील मॉडल

- मशीन/उपकरण की स्वदेशी अभिकल्पना
- एक मौलिक/मितव्ययी अभिकल्पना या तकनीक
- विज्ञान एवं तकनीक के मूलभूत सिद्धांतों का अनुप्रयोग
- उत्पादन लागत को कम करने के लिए एक उपकरण या मशीन की अभिकल्पना/योजना
- अनुसंधानपरक अध्ययन

14. छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति एक आकर्षण पैदा करने के लिए खोजपरक मौलिक परियोजनाओं पर जोर दिया जा सकता है।
15. संदर्भ के लिए मुख्य विषय एवं उप–विषय के बारे में एक संक्षिप्त समीक्षा संलग्न है। भाग लेने वाली टीम एक या उससे अधिक बताए गए संतोषजनक मानदण्डों के आधार पर किसी भी एक उपविषय पर प्रदर्शन/परियोजना को तैयार कर सकती है।
16. क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण के समय प्रदर्शन के बारे मे स्पष्ट टाइप किया गया संक्षिप्त विवरण (लगभग 100 शब्दों में स्पष्ट टाइप किया गया) दिया जाना अनिवार्य है।
17. परियोजना/प्रदर्शन निम्नलिखित पैमानों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा आकलित या मूल्यांकित किए जाएँगे।

क)	छात्र की खुद की रचनात्मकता एवं कल्पनाशीलता	→20%
ख)	प्रदर्शन/परियोजना के अभिकल्पन में मौलिकता एवं नवीनता	→15%
ग)	वैज्ञानिक विचार/सिद्धांत	→15%
घ)	तकनीकी कौशल/कार्यकुशलता/शिल्पकारिता	→15%
ड़)	उपादेयता/शैक्षणिक महत्व	→15%
च)	आर्थिक पहलू, सुवाह्यता, स्थायित्व	→10%
छ)	प्रस्तुतिकरण–व्याख्या एवं प्रतिपादन	→10%

18. पहले चरण की प्रदर्शनी प्रत्येक क्षेत्र में दो/तीन भिन्न–भिन्न स्थानों पर की जाएगी।
19. प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर के स्थानों से चुने हुए सर्वोत्तम पंद्रह प्रदर्शन/विद्यालय ही राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
20. क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनी की वास्तविक तिथियाँ, क्षेत्रीय अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक विद्यालय को भेजी जाएँगी और इसके साथ ही 15 जुलाई, 2013 से CBSE की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर भेजी जाएँगी।
21. उन छात्रों/प्रदर्शनी को, आकर्षक पुरस्कार/नकद पुरस्कार दिए जाएँगे, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बीस सर्वश्रेष्ठ मॉडल प्रस्तुत किए होंगे।

उपरोक्त सूचना विद्यालय के सभी संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी में लाई जाए, विशेष रूप में विद्यालय के विज्ञान विभाग और छात्रों के समक्ष/संलग्न पंजीकरण फॉर्म, पंजीकरण शुल्क और अन्य विवरण के साथ प्रतिभागिता का प्रतिवेदन पत्र, नियत तारीख से पहले संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजा जा चाहिए। अन्य किसी तरह की जानकारी के लिए आप शिक्षा अधिकारी सुश्री क्षिप्रा वर्मा से 2013.scienceexhibition@gmail.com पर संपर्क कर सकते है।

धन्यवाद

भवदीया

डॉ॰ साधना पाराषर
प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी / सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी / निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)